न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 556/2022 **अनवान** भंवरलाल बनाम राज सरकार(तहसीलदार शेरगढ)

दिनांक 06.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर) द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 207/2022 मे पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलाट एव रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलाट द्वारा अपील मीमो मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्यत यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश कमांक: राजस्व/प्र.गा.स.अ./2021/248 दिनांक 21.10.21 (11.11.21) के विरूद्ध अपीलाट द्वारा संभागीय आयुक्त आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 240/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 8.12.21 द्वारा वादग्रस्त ख0न0 793 के खातेदारान/पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरात अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर पुन: नये सिरे से यथोचित आदेश पारित कराने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–प्रार्थी द्वारा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे नजर अंदाज किया गया है। इससे ख0न0 793 दो भागो मे बंट जावेगा। वर्तमान में उक्त खसरान में रास्ते की कोई आवश्यकता नही है, इसके सह–खातेदारों में बंटवाडा होने के बाद रास्ते की आवश्यता होने पर उक्त खसरान के किनारे–किनारे नया रास्ता कायम किया जा सकता है। वस्तुत: उक्त खसरान मे सह–खातेदारो के लिए ही रास्ते की जरूरत है। वकील अपीलांट ने अपील के साथ स्वय द्वारा प्रस्तावित रास्ते का एक नजरी नक्शा सुविधायुक्त होना बताते हुए प्रस्तुत कर, इस आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यत: यह कथन किया कि मूल आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान में जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 5777–5864 दिनांक 29.9.21 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में मौके पर चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्ता राजस्व रेकर्ड दर्ज करने हेतु तहसीलदार शेरगढ के पत्र कमांक 394 दिनांक 11.11.21 के प्रस्ताव अनुसार पारित किया गया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 240/2021 में पारित निर्णय दिनांक 8.12.21 द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत अन्य पक्षकारों/खातेदारों द्वारा वादग्रस्त खसरे के किनारे–किनारे टिल्ला (धोरा) होने से, पूर्व मे रास्ते हेतु जारी आदेश मे सहमति व्यक्त करने से उसे यथावत रखा गया है। अत: अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड पर का अवलोकन व मनन किया। जिससे प्रकट है कि वादग्रस्त खसरे में रास्ते हेतु अपीलाट के अलावा अन्य सह–खातेदार/पक्षकार पूर्व पारित आदेश से पूर्णत: सहमत है, जिसे स्वयं अपीलांट भी स्वीकार करता है। अत: इस स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 207/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट्स सारहीन पायी जाने से, उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर) द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 207/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर